COP-27

चर्चा में क्यों ?

'निम्न उत्सर्जन' मार्ग में संक्रमण के लिए भारत की दीर्घकालिक रणनीति में स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के लिए अधिक परमाणु ऊर्जा और अधिक इथेनॉल शामिल हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के पार्टियों के सम्मेलन (COP) का 27 वां सत्र वर्तमान में मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया जा रहा है।

COP के बारे में

- COP कन्वेंशन का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया COP के वार्षिक सत्रों के इर्द-गिर्द घूमती रहती है।
- COP-28 , 2023 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा।

दीर्घकालिक-निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति क्या है ?

- COP-27 में, भारत ने "कम उत्सर्जन" मार्ग(LT-LEDS) संक्रमण के लिए अपनी दीर्घकालिक रणनीति की घोषणा की।
- LT-LEDS एक प्रतिबद्धता दस्तावेज है जिसे पेरिस समझौते (2015) का प्रत्येक हस्ताक्षरकर्त्ता देश 2022 तक लागु करने हेतु बाध्य है। इससे संबधित 57 देशों (भारत सहित) ने अपना दस्तावेज जमा किया है।
- भारत की रणनीति मुख्य रूप से अगले दशक में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को कम से कम तीन गुना बढ़ाने पर ,हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र बनाने पर और पेट्रोल में इथेनॉल के अनुपात को बढ़ाने पर आधारित है।
- ब्रिटेन के ग्लासगो की प्रतिबद्धता के अनुरूप 2070 तक भारत ने जीरो कार्बन का लक्ष्य रखा है।

भारत के LT-LEDS में शामिल हैं -

- भारत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करना, 2025 तक पेट्रोल में इथेनॉल सम्मिश्रण को 20% तक पहुँचाने का उद्देश्य रखा है जो वर्तमान में 10% है।
- भारत प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (PAT) योजना, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, विद्युतीकरण बढ़ाने, सामग्री दक्षता बढ़ाने, रीसाइक्लिंग और उत्सर्जन को कम करने के तरीकों से ऊर्जा दक्षता में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

- भारत का वृक्षावरण एक शुद्ध कार्बन सिंक है जो 2016 के अनुसार 15% CO2 उत्सर्जन को अवशोषित करता है। 2030 तक वन और वृक्षों के आवरण में 2.5 से 3 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) की प्रतिबद्धता को पूरा करने का कार्य प्रगति पर है।
- विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त का प्रावधान अहम् भूमिका निभाएगा, जिसे अनुदान के रूप में बढ़ाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- भारत की दीर्घकालिक रणनीति (LTS) भारतीय उद्योगों के विकास, शहरी नियोजन और बुनियादी ढाँचे के निर्माण का मार्गदर्शन कर रही है। लचीले भविष्य के साथ असंगत होने वाले निवेश से बचने के लिए भारत के शुद्ध-शून्य लक्ष्य को निकट-अवधि की जलवायु क्रियाओं से जोड़ना महत्वपूर्ण है।

कंबोडिया में 17वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कंबोडिया के नाम-पेन्ह में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लिया।

EAS क्या है ?

- यह रणनीतिक संवाद के लिए इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का प्रमुख मंच है।
- EAS भारत-प्रशांत क्षेत्र के सामने प्रमुख राजनीतिक, सुरक्षात्मक और आर्थिक चुनौतियों पर रणनीतिक संवाद और सहयोग के लिए 18 क्षेत्रीय नेताओं को मंच प्रदान करता है।

प्रमुख बिंदु –

- उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) को संबोधित किया।
- शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कंबोडिया द्वारा की गयी ।
- शिखर सम्मेलन के दौरान खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से सम्बंधित वैश्विक चिंताओं पर प्रकाश डाला।
- उन्होंने नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता के साथ स्वतंत्र, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए EAS तंत्र की भूमिका पर भी जोर दिया।

द्विपक्षीय बैठक: भारत और कंबोडिया

- सम्मेलन से इतर भारतीय उपराष्ट्रपति ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन से मुलाकात की और कंबोडिया के अंगकोर पुरातात्विक परिसर के 'ता प्रोहम मंदिर' में हॉल ऑफ डांसर्स के पूर्ण संरक्षण कार्य का भी उद्घाटन किया।
- द हॉल ऑफ डांसर्स कंबोडिया में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और बहाली के लिए भारत और कंबोडिया के बीच 4 मिलियन डॉलर की सहयोगी परियोजना का हिस्सा है।
- कंबोडिया ,भारत को भगवान बुद्ध की श्रद्धेय भूमि के रूप में देखता है। इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग, जैव विविधता संरक्षण और सतत वन्यजीव प्रबंधन में सहयोग, सांस्कृतिक विरासत के डिजिटल दस्तावेज़ीकरण के लिए अनुसंधान, विकास और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के क्षेत्र में सहयोग के MOU पर हस्ताक्षर हुआ।

मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चेन्नई में भारत का पहला मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने की योजना पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सम्मानित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- देश का पहला MMLP स्थापित करने के लिए, केंद्र और तमिलनाडु सरकार एक साथ आए हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन, रेल विकास निगम, चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण और तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम के संयुक्त प्रयास संचालित होगा।
- परियोजना की निगरानी सरकार के उच्चतम स्तर पर की जाएगी क्योंकि यह केंद्र की परियोजना निगरानी प्रणाली के तहत प्राथमिकता सूची के अंतर्गत आता है।
- पार्क, लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत और विविधतापूर्ण बनाने के उद्देश्य से इंटरमॉडल ट्रांसपोर्टेशन - सड़कों, रेलवे और अंतर्देशीय जलमार्ग की सुविधा भी प्रदान करेगा।

MMLP से लॉजिस्टिक लागतों में कमी

- GDP % के रूप में भारत की लॉजिस्टिक लागत 16 % है, जबकि अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों में यह लगभग 8 % है। सरकार रसद लागत को GDP के 10% तक लाना चाहती है।
- 2021 में शुरू PM गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान के तहत, सड़क मंत्रालय 35 MMLP विकसित कर रहा है, जिनमें से तीन वर्षों में 15 MMLP को प्राथमिकता दी जाएगी

संविधान के पहले संशोधन को चुनौती

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में, पहले संवैधानिक संशोधन की वैधता को चुनौती दी गयी क्योंकि यह संशोधन मूल संरचना के उल्लंघन से सम्बंधित माना गया।

अनुच्छेद- 19 के बारे में

- अनुच्छेद 19 (1) के तहत सभी नागरिकों को अधिकार होगा –

  (a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;

  (b) शांतिपूर्वक और हथियारों के बिना इकट्ठा होने के लिए;

  (c) संगठन या संघ बनाने के लिए;

  (d) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए;

  (e) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए;

  (f) कोई व्यवसाय करना, या कोई उपजीविका, या व्यापार करने के लिए।

- चंपकम दोरायराजन (1951)मामले में, सुप्रीमकोर्ट ने माना कि सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में आरक्षण जाति के आधार पर प्रदान नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 (2) का उल्लंघन करता है।
- अनुच्छेद 29(2): राज्य केवल जाति, धर्म, भाषा या इससे संबधित आधार पर किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा संचालित या उससे सहायता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।इसके उत्तर में संविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया गया।

संविधान (पहला संशोधन) अधिनियम, 1951 के बारे में:

- इसने संविधान में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। जैसे-भूमि सुधारों को जाँच से छूट देना और पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षा प्रदान करना।
- विशेष रूप से, इसने मुक्त अभिव्यक्ति के अधिकार पर प्रतिबंधों की सीमा को व्यापक बना दिया।
- इस संशोधन ने विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों के लिए सरकार की कथित जिम्मेदारियों को सीमित करने वाले न्यायिक निर्णयों को दूर करने के लिए संविधान को संशोधित करने की मिसाल कायम की।

पहले संशोधन ने अनुच्छेद -19(2) में दो बदलाव किए

- पहला , इसने अनुच्छेद-19(2) द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के लिए "उचित" योग्यता का परिचय दिया, जो संसद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की वैधता की समीक्षा करने में हस्तक्षेप करता है।
- दूसरा, संशोधन ने संविधान में विशिष्ट शब्द "सार्वजनिक व्यवस्था" और "अपराध के लिए उकसाना" का प्रयोग शुरु किया।

- उपर्युक्त दोनों मामलों में, अदालत ने "सार्वजनिक सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" की शर्तों को परिभाषित किया कि क्या वे अनुच्छेद-19(2) में अनुमत प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। अदालत ने "सार्वजनिक सुरक्षा" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के आधार पर मुक्त भाषण पर प्रतिबंध लगाने वाले कानूनों को असंवैधानिक करार दिया।

बुनियादी संरचना सिद्धांत:

- बुनियादी ढाँचे का विचार जर्मनी से लिया गया है। यह मूल रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सज्जन सिंह मामले (1965) में लाया गया।
- केशवानंद भारती मामले (1973) में, SC ने 7 कहा कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परन्तु इसे "मूल संरचना" को नष्ट करने की शक्ति नहीं है।
- मूल संरचना एक न्यायिक नवाचार है जो न तो भारतीय संविधान का हिस्सा है और न ही अदालत द्वारा परिभाषित किया गया है।
- ध्यातव्य है कि जो संविधान के किसी विशिष्ट अनुच्छेद के पाठ का हिस्सा नहीं हो सकता है, वह भी मूल संरचना का हिस्सा हो सकता है।
- इसी तरह 1976 तक 'धर्मनिरपेक्षता' पाठ में नहीं थी, लेकिन 1973 में इसे बुनियादी ढाँचे में शामिल कर लिया गया था।

अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) में अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने की घटनाएँ देखी गयी।

प्रमुख बिंदु :

- अधिकांश अवैध गतिविधि उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में पायी जाती है। हिंद महासागर के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं।

अवैध, असूचित और अनियमित (IUU) मछली पकड़ने के बारे में:

- यह एक व्यापक शब्द है जो विभिन्न प्रकार की मछली पकड़ने की गतिविधियों को दर्शाता है। IUU मत्स्य पालन के सभी प्रकार और मत्स्य पालन संबधित आयामों में पाया जाता है; यह गहरे समुद्रों और राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर दोनों क्षेत्रों में होता है।

IUU मत्स्य पालन के मुद्दे क्या हैं?

- अवैध मछली पकड़ना स्टॉक को कम करता है, समुद्री आवासों को नष्ट कर देता है, मछुआरों का नुकसान और विशेष रूप से विकासशील देशों में तटीय समुदायों को प्रभावित करता है।

सरकार द्वारा IUU मत्स्य पालन से निपटने के प्रयास :

- **इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस (IPMDA):** क्वाड ने मई, 2022 में इंडो-पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस के दायरे में एक प्रमुख क्षेत्रीय प्रयास की घोषणा की। जिसका उद्देश्य क्षेत्र में "निकट-वास्तविक समय" गतिविधियों की अधिक सटीक समुद्री तस्वीर प्रदान करना है ।
- IPMDA से भारत-प्रशांत क्षेत्र में IUU को संबोधित करने की दिशा में भारत और अन्य क्वाड भागीदारों के संयुक्त प्रयासों को उत्प्रेरित करने की उम्मीद की जा रही है।

IUU पर वैश्विक स्तर पर दो मुख्य नियम हैं:

- केपटाउन समझौता और बंदरगाह राज्य उपायों पर समझौता।
- भारत किसी भी समझौते का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं है।
- समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार, तटीय राष्ट्र अपने संबंधित EEZ के भीतर IUU मछली पकड़ने के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- यूरोपीय संघ ने सभी मछली आयातों के लिए यह जानकारी देना अनिवार्य कर दिया है। भारत में, 20 मीटर से अधिक लंबाई वाले बड़े जहाजों में ऐसी स्वचालित पहचान प्रणाली स्थापित होती है।

KARTAVYEVADHIKARASTE
THE STUDY
MAA PHALESHU KADAACHAN
An Institute for IAS